सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 102/18 **निर्णय दिनांकः 01.06.2018**

1. नवनीत पुत्र वेदप्रकाश जाति ढाढी निवासी अरजनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

2. अपील संख्या 103/18

1. नवनीत पुत्र वेदप्रकाश जाति ढाढी निवासी अरजनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

3. अपील संख्या 104/18

1. नवनीत पुत्र वेदप्रकाश जाति ढाढी निवासी अरजनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरूद्ध आज्ञा दिनांक 08—09—2008 व दिनांक 15—10—2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री अनिल कुमार ओझा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 08—09—2008 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि व नहर व अनिवार्य वन पट्टी का रकबा आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन तीनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त तीनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने तीनों अपीलों में कॉमन बहस क रते हुए कथन किया कि अपीलांट् को उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तमाम जॉच के उपरान्त अपीलांट को सक्षम अधिकारी द्वारा पात्र मानते हुए चक 5 बीडी के मुरब्बा नम्बर 210/17 के किला नम्बर 18 की 1 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17 व 21 ता 25 में 12 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 13 बीघा, मुरब्बा नम्बर 209/32 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 23 की 14.11 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 210/25 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 8.09 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा

वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को आवंटित मुरब्बा नम्बर 210/17 में 3.10 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 209/32 में 10.04 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 210/25 में 8.09 बीघा इस प्रकार कुल 22.03 बीघा अनकमाण्ड भूमि मौके पर नहर, अनिवार्य वनछ्टी व ग्रवेल सड़क में होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही बीडी नहर, अनिवार्य वन पट्टी व ग्रेवल सड़क के लिए आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—09—2008 के विरूद्व अपील दिनांक

06—03—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही वन विभाग व अनिवार्य नहर पट्टी हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—09—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06—03—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

8. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को तहसील खाजुवाला के चक 5 बीडी के मुरब्बा नम्बर 210/17 के किला नम्बर 18 की 1 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17 व 21 ता 25 में 12 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 13 बीघा, मुरब्बा नम्बर 209/32 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 23 की 14.11 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 210/25 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 8.09 अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित चक 5 बीडी के मुरब्बा नम्बर 210/17 में आवंटित 13 बीघा भूमि में से 3.10 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 209/32 में आवंटित 14.11 बीघा भूमि में से 10.04 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 210/25 में आवंटित 8.09 बीघा की सम्पूर्ण 8.09 बीघा इस प्रकार कुल 22.03 बीघा अनकमाण्ड भूमि मौके पर नहर, अनिवार्य वनछ्टी व ग्रेवल सड़क में होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता।

(3) अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट को आवंटित भूमि का कुछ भू—भाग मौके पर नहर, अनिवार्य वन पट्टी व ग्रेवल सड़क हेतु आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि के एवज में अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

(4) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अपीलांट को आवंटित भूमि के संबंध में प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के करीब नहर बीडी चालू है। ऐसी स्थिति में आवंटन नियमों के तहत बीडी नहर के 100 फुट दूरी तक की भूमि अनिवार्य वन पट्टी हेतु आरक्षित भूमि होती है तथा उक्त भूमि का आवंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई ना ही अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर किया गया क्या वादगत् भूमि शूद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो भूमि अनिवार्य वन पट्टी हेतु आरक्षित थी तथा आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड आदेश है।

(5) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अदालत मातहत द्वारा एक ही पक्षकार को मिडियम पेच आवंटन के तहत तीन अलग—अलग मुरब्बों में भूमि

आवंटित की गई है। अदालत मातहत द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त मुरब्बों के आवंटन हेतु अन्य किसी के आवेदन पत्र नहीं है। जबकि मिडियम पेच आवंटन के तहत यह अनिवार्य है कि आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को व अन्य काश्तकारों को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र खानापूर्ति करने के उद्वेश्य मात्र से नोटिस जारी करते हुए एक ही पक्षकार को तीन अलग–अलग मुरब्बों में वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत साबित है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं की जा सकती थी ना ही आवंटन हेतु उपलब्ध थी। अदालत मातहत का उक्त कृत्य मात्र अपीलांट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से किया गया प्रतीत होता है।

(5) प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है– चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो, या उक्त आवंटन डीएलसी रेट से किया गया हो, परन्तु अदालत मातहत का उक्त कृत्य उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित व दुराभिसंधि को प्रकट करता है। हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह होने से नियम विरूद्व व अपारदर्शी श्रेणी का है।

(6) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में यह अभिलिखित है कि वादगत् भूमि का कुछ भू–भाग बीडी नहर, अनिवार्य वन पट्टी व ग्रेवल सड़क में आने के कारण उक्त भूमि का अन्यत्र तबादला दिया जाना उचित है। उक्त रिपोर्ट अवैद्य व अपीलार्थी को अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से तैयार की गई प्रतीत होती है। चूंकि अपीलांट का आवंटन – उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14 के तहत मध्यम पट्टी आवंटन का

है, जो मूल आवंटन या वैद्यतः धारित भूमि जो लधु या मध्यम पट्टी से चिपती या लगती संपार्शिवक भूमि है। अपीलार्थी को मध्यम पट्टी भूमि का आवंटन ही मूलतः अनिवार्य वन पट्टी क्षेत्र का होने के कारण आरम्भतः शून्य व अवैद्य प्रकृति का है। अतः वह विनिमय में अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा इस अपील के माध्यम से अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें खारिज की जाती है। प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत द्वारा मिडियम पेच के तहत किये गये आवंटन आरम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाईड श्रेणी के आवंटन है ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा दिनांक 08—09—2008 व दिनांक 15—10—2008 को किये गये आवंटन निरस्त किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर